

अवकाश / अवकाश के नकदीकरण के लिए आवेदन-पत्र

टिप्पणी—(1) मद 1 से 10 तक की प्रविष्टियां सभी आवेदकों द्वारा चाहे वे राजपत्रित अधिकारी हों अथवा अराजपत्रित कर्मचारी हों, भरी जायेंगी।

(2) मद 10 केवल अवकाश के नकदीकरण के मामले पर लागू होगी।

1—आवेदक का नाम.....	
2—लागू अवकाश नियम.....	
3—पद नाम.....	
4—विभाग / कार्यालय.....	
5—वेतन.....	
6—अवकाश किस दिनांक से किस दिनांक तक अपेक्षित.....से..... तक तथा प्रकृति.....	
7—अवकाश मांगे जाने का कारण.....	
8—पिछली बार अवकाश किस दिनांक से किस दिनांक तक.....से..... तक तथा प्रकृति.....	
9—अवकाश की अवधि में पता.....	
10—(क) (1) क्या 30 दिन / एक मास को अर्जित अवकाश/औसत वेतन पर अवकाश का नकदीकरण अपेक्षित है..... (2) यदि हाँ तो किस दिनांक को..... (ख) क्या चालू कैलेण्डर वर्ष में इससे पूर्व अवकाश नकदीकरण की सुविधा प्राप्त हुई है दिनांक.....199	
आवेदक के हस्ताक्षर	
11—अग्रसारण अधिकारी की अभ्युक्ति / संस्तुति दिनांक.....199	हस्ताक्षर..... पदनाम.....
12—फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-2, भाग 2-4 के सहायक नियम 8। के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट। (क) प्रमाणित किया जाता है कि फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-2, भाग 2-4 के मूल नियम / सहायक नियम..... के अधीन दिनांक.....से.....तक आवेदित अर्जित अवकाश / औसत वेतन पर अवकाश देय है। (ख) प्रमाणित किया जाता है कि मद 10 पर अपेक्षित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा देय तथा अनुमन्य है। दिनांक.....199	हस्ताक्षर..... पदनाम.....
13—अवकाश तथा अवकाश का नकदीकरण स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश। दिनांक.....199	हस्ताक्षर..... पदनाम.....